भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5750
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

5750. डॉ. शशि थरूर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) में पुनरावृत्ति के मुद्दे का समाधान करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यवार कितने सीसीएल को देखभाल उपरांत सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास सीसीएल को गैर-संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए कोई समर्पित योजना/ नीति/कार्यक्रम है;
(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) किसी भी कमजोर या कठिन परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम 2015 की धारा 2 (13) के अनुसार, "कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई अपराध करने का आरोप है या ऐसा पाया गया है और जिसने ऐसे अपराध के किए जाने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है"। किशोर न्याय बोर्ड को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (धारा 04-09) के कल्याण के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। जे.जे. अधिनियम की धारा 53 में बच्चों के लिए स्थापित संस्थाओं

में प्रदान की जाने वाली विभिन्न पुनर्वास एवं पुनः एकीकरण सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 8(जे) के तहत किशोर न्याय बोर्ड को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक माह कम से कम एक निरीक्षण दौरा करना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई की सिफारिश करना अपेक्षित है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 8 किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करती है। इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 8(3)(जी) में प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किसी भी स्तर पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जा सकता है और ऐसे बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) दोनों को शामिल करने की आवश्यकता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए विभिन्न सेवाएं, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल सेवाएं शामिल हैं, प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है । मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि में सहायता प्रदान करते हैं। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को राज्य प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक-ग्रहण और पश्चात् देखभाल के माध्यम से गैर-संस्थागत देखभाल के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

यह योजना कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7x365) भी प्रदान करती है जिसे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112 (ईआरएसएस-112) हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है।

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित गैर-संस्थागत देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में है।

*****

अनुलग्नक-I

'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे' के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5750 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24 तक) के दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे सहित गैर-संस्थागत देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	604	144	144	9150	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	903	318	318	840	1719
3	असम	368	434	434	858	1919
4	बिहार	854	1646	1646	504	4001
5	छत्तीसगढ़	1250	1250	1250	288	1137
6	गोवा	0	13	13	27	62
7	गुजरात	1088	1438	1438	506	450
8	हरियाणा	1042	1042	1042	5155	643
9	हिमाचल प्रदेश	563	563	563	1347	1352
10	जम्मू और कश्मीर	521	979	979	1398	4024
11	झारखंड	1125	1125	1125	3086	4629
12	कर्नाटक	1357	1375	1375	3875	12449
13	केरल	323	323	323	1133	1455
14	मध्य प्रदेश	1125	2188	2188	2377	13715
15	महाराष्ट्र	1688	1688	1688	9844	21680
16	मणिपुर	396	729	729	1120	1288
17	मेघालय	260	490	490	1028	1083
18	मिजोरम	396	396	396	591	1516
19	नागालैंड	521	521	521	752	779
20	ओडिशा	1375	1375	1375	1772	3697
21	पंजाब	1042	263	263	612	4150
22	राजस्थान	750	1438	1438	239	933
23	सिक्किम	188	188	188	323	460
24	तमिलनाडु	1521	1521	1521	2975	5411
25	त्रिपुरा	198	365	365	305	1373
26	उत्तर प्रदेश	3313	3313	3313	1766	10000
27	उत्तराखंड	302	573	573	847	1817
28	पश्चिम बंगाल	1021	1083	1083	1670	2750
29	तेलंगाना	1479	1563	1563	6454	4858

30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	42	52	52	0	1
31	चंडीगढ़	64	67	67	199	309
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	94	156	156	519	984
33	लद्दाख	0	0	0	29	411
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35	दिल्ली	200	521	521	980	635
36	पुदुचेरी	115	198	198	106	171
कुल		**26084**	**29331**	**29331**	**62675**	**121861**

*****